2018/00182

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 05/2018 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

कमलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी पाचडा
तहसील दीगोद जिला कोटा ,

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री जगदीश खण्डेलवाल (अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 16.01.2020

1. तहसीलदार दीगोद द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि अप्रार्थी कमलसिंह पुत्र हरिसिंह को ग्राम पाचडा तहसील दीगोद जिला कोटा मे स्थित आराजी ख0 नं0 332 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा भूमि आवंटन दिनांक 19.06.1986 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत हुई थी । जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं0 (358/1.10, 359/0.69, 360/0.33, 361/0.45) मे कोई भी खसरा नम्बर आवंटी के गैर खातेदारी मे दर्ज नही है । जो आज तक आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही करने के कारण गैरखातेदारी दर्ज नही हो पाई है । उपरोक्त मे से तीन खसरा नं0 358,359,361 सिवायचक खाता सरकार मे दर्ज है एवं खसरा नं0 360 रकबा 0.33 है0 नरेन्द्रसिंह गूजर के खाते दर्ज है । आवंटी द्वारा लगभग 30 वर्षो तक आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही किया है । आवंटी को भूमि की आवश्यकता नही है और न ही कब्जा कर काश्त करने का प्रयास किया है । अतः आवंटन खारिज करने का निवेदन किया गया ।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थी को तलबी की गई । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए।

3.. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटी द्वारा भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त लगभग 30 वर्षो तक आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही किया है । आवंटन खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार दीगोद द्वारा नियम 14 (4) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट नियम 1970 (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) के अधीन प्रस्तुत किया है । जिसके अन्तर्गत कानूनन पोषनीय ही नही हो सकता । क्योकि अप्रार्थी को ग्राम पाचंडा तहसील दीगोद की भूमि तत्समय राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संम्बन्धी) नियम 1957 के अधीन कृषि भूमि का स्थायी आवंटन दिनांक 19.06.1986 को कुल कीमत रूपये 2993.50 मे किया गया था । इस प्रकार के हुयें आवंटन को लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1970 के नियम 14 (4) के प्रोवीजन लागू नही होते है । इस कारण प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र पोषनीय नही है । अप्रार्थी आवंटित भूमि पर तब से वर्तमान तक निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी ने आवंटित भूमि की काफी राशि जमा भी करवाई हुई है तथा शेष रही राशि यदि कोई हो ता उसको भी मय ब्याज जमा कराने को तैयार है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत खारिज किया जावे ।

5. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है । जबकि आवंटन पत्रावली के अनुसार आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संबंधी) नियम, 1957 के अधीन कृषि भूमि का स्थायी आवंटन के तहत ग्राम पाचडा ख0 नं0 332 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा को आवंटन किया गया था । अतः राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन खारिज नही किया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि यदि आवंटन खारिज योग्य होना पाया जाता है तो पुनः संबंधित धारा के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रकरण पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 16.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा